

पत्र संख्या:—
कार्यालय प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

प्रेषक,

कुमार आलोक रंजन,
प्रबंधक,
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क (प्रेस) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक—

विषय:— प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी के विभिन्न दैनिक सामाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित है कि संलग्न निविदा को प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी के विभिन्न दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि इसे विभिन्न दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०-सी०डी० के साथ निविदा आमंत्रण पत्र।

विश्वासभाजन

ह०/—

(कुमार आलोक रंजन)

प्रबंधक

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

पटना, दिनांक:—

ज्ञापांक—

प्रतिलिपि:— सहायक निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा के e-advertisement हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

ह०/—


प्रबंधक

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

पटना, दिनांक:— २५/५/२६

ज्ञापांक— २५५

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रबंधक

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।


कार्यालय प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना में वित्तीय वर्ष- 2026-2027 में अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए निम्न दो ग्रुप में आमंत्रित की जानेवाली अल्पकालीन निविदा।

(1) चाय ग्रुप (चाय लिप्टन, कॉफी नैशकैफे) (2) मीट खरसी, मीट मुर्गा एवं अंडा ग्रुप

इस प्रकार कुल (2) दो ग्रुप में अंकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं वित्तीय अल्पकालीन निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में (द्वि-लिफाफा पद्धति) निबंधित डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में अवस्थित डाक बॉक्स में दिनांक-11.05.2026 को 03 बजे अपराह्न तक प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला (पुराना (मुख्य) सचिवालय के विस्तारित भवन ब्लॉक-02) पटना के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक-11.05.2026 को 04 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष नियोजन भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। केवल उन्हीं निविदाओं के वित्तीय निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक-11.05.2026 को 04 बजे अपराह्न में खोला जाएगा, जिनका तकनीकी निविदा शर्तों के अनुरूप होगा। निविदा के संबंध में आवश्यक सूचना एवं प्रमुख शर्तें श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के वेबसाइट <http://State.bihar.gov.in/labour> अथवा <http://State.bihar.gov.in/prdbihar> पर उपलब्ध है। प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में कार्यालय दुरभाष 0612-2217216 अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(कुमार आनंद रंजन)
प्रबंधक,

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

बिहार सचिवालय भोजशाला में निविदा के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची

(1) चाय/कॉफी गुप

चाय – (I) लिप्टन (दार्जिलिंग लीफ-टी) (II) ब्रुक बान्ड रेड लेबल (III) टाटा टी (IV) ब्रुक बान्ड ताजा (V) ब्रुक बान्ड ताज महल एवं अन्य प्रमुख ब्रांड /ब्रान्डेड (दर प्रतिकिलो)।

कॉफी– (I) नेस्कैफे (II) टाटा कॉफी (III) ब्रू एवं अन्य प्रमुख ब्रांड (दर प्रतिकिलो)।

चाय एवं कॉफी की आपूर्ति के लिए कम्पनी के सी0एण्ड0एफ0 या कम्पनी के अधिकृत डीलर होना चाहिए।

(2) मीट एवं अण्डा गुप–

(क) मीट (खस्सी का) एवं मीट (मुर्गा) प्रति किलो में।

(ख) अण्डा (मुर्गी का) प्रति दर्जन में।

अल्पकालीन निविदा के लिये आवश्यक कागजात :-

प्रत्येक निविदादाता को निविदा-पत्र के साथ निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कागजात के संलग्न नहीं रहने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा के अन्तर्गत अग्रधन (Earnest Money) के रूप में वर्णित प्रति समूह के लिये अलग-अलग रूपये 20000/- (बीस हजार) के दर से बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।
2. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निविदादाता के फर्म का निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
3. जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। मीट एवं अंडा गुप के लिए यह आवश्यक नहीं है।
4. पटना नगर निगम द्वारा प्रदत्त पशु मांस के व्यवसाय का अनुज्ञापति (बिहार नगर पालिका अधिनियम 2017 की धारा 345 के अधीन प्रमाण-पत्र अद्ययतन हो)। केवल मीट (खस्सी एवं मुर्गा) एवं अंडा गुप के लिए।
5. प्रत्येक गुप में न्यूनतम दर (L1) वाले (जिस सामान की आपूर्ति भोजशाला में अधिक होती है) आपूर्तिकर्ता को दर निर्धारण के समय प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय बाजार से प्राप्त दर से तुलना कर न्यूनतम दर पर अनुशंसा किया जाएगा।
6. निविदादाता को वित्तीय स्थिति से सुदृढ़ (मजबूत) होना अनिवार्य है। निविदादाता को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता अथवा फॉर्म या कंपनी हेतु चालू खाता में न्यूनतम 01 (एक) लाख रुपये (निविदा प्रकाशन के उपरांत होनी चाहिए) एवं मीट/अंडा गुप के लिए 30,000 (तीस हजार रुपये) मात्र जमा होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
7. आयकर विभाग का गत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं पैन नम्बर की छायाप्रति। मीट/अंडा गुप के लिए गत दो वर्ष का आयकर रिटर्न।
8. निविदादाता निविदा में सभी संलग्न कागजातों की सूची अपने फर्म/प्रतिष्ठान के नाम एवं पता के साथ संलग्न करेंगे।
9. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निविदादाता को एजेन्सी/फर्म काली सूची में नही होने संबंधी शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
10. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर एवं स्थानीय बाजार से प्राप्त दर की तुलना करने के पश्चात् यदि स्थानीय

बाजार का दर न्यूनतम (एल0-01) पाया जाता है तो सामग्रियों की आपूर्ति हेतु बाजार से प्राप्त न्यूनतम दर एवं निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर दर-वार्ता कर क्रय समिति अन्तिम रूप से आपूर्ति दर पर निर्णय लेगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित सामग्रियों का दर स्थानीय बाजार दर से "काफी कम या अधिक" होने पर उनके वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. निविदा के क्रम में अंकित सामग्रियों के नमूना की माँग क्रय समिति द्वारा की जा सकती है।
13. बिहार वित्त नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत निविदा प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

वित्तीय निविदा के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में सभी सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी प्राप्त निविदादाताओं में से प्रथमतः तकनीकी निविदा को निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियोजन भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा। केवल उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जाएगा जिनका तकनीकी निविदा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप होगा। वित्तीय निविदा निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियोजन भवन, बेली रोड अवस्थित संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा।

निविदा की शर्त :-

1. निविदादाताओं को सामानों की आपूर्ति पुराना (मुख्य) सचिवालय भोजशाला, पटना स्थित भंडार गृह तक करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
2. निविदा में प्रत्येक सामान के लिए जो दर अंकित किया जायेगा, उसे सभी टैक्स एवं माल ढुलाई भाड़ा सहित माना जायेगा। प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता द्वारा विपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आपूर्ति किये गए सामानों का भुगतान विभाग से प्राप्त आवंटन के अनुसार किया जायेगा।
3. भंडारपाल द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार सामानों की आपूर्ति अविलम्ब करनी होगी एवं प्रबंधक भोजशाला से सामानों की गुणवत्ता (क्वालिटी) जाँच के पश्चात् ही भंडार में आपूर्ति की जाएगी।
4. विषम परिस्थिति यथा, आवंटन के अभाव में प्रमाणकों के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में सामग्री आपूर्ति बन्द नहीं करनी होगी। बिना पूर्व सूचना एवं पूर्वानुमति के सामग्री के आपूर्ति अचानक बंद करने पर सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए आपूर्तिकर्ता पर प्राथमिकि दर्ज कर दी जाएगी एवं नियमानुसार अग्रतर कारवाई की जाएगी।
5. जी0 एस0 टी0 अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार टैक्स की कटौती के उपरान्त विपत्र का भुगतान किया जा सकेगा। नियमानुसार आयकर की कटौती भी आपूर्तिकर्ता के विपत्र से की जाएगी।
6. चाय एवं कॉफी ग्रुप में लिफ्टन/नेशले में कम्पनी सी0 एन0 एफ0 (CNF) एजेन्ट अथवा कम्पनी के अधिकृत डीलर को ही भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
7. निविदादाता द्वारा गलत कागजातों के जमा किये जाने पर उनके अग्रधन (Earnest Money) को जब्त कर लिया जायेगा एवं उनके निविदा-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. चाय एवं कॉफी निविदा में निविदादाता को अधिकतम छूट (प्रतिशत में) एवं वास्तविक आपूर्ति का दर उल्लेख करना होगा। इसमें एम0 आर0 पी0 में परिवर्तन के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन

निर्धारित अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता को एम0 आर0 पी0 में परिवर्तन की सूचना 10 दिनों के अन्दर श्रमायुक्त, बिहार, पटना एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना को अधिकृत रूप में देना होगा।

9. चाय एवं कॉफी का पुराना स्टॉक स्वीकार्य नहीं होगा।
10. निविदा में सफल उम्मीदवार का अग्रधन "सुरक्षित राशि" (सिक्क्यूरिटी डिपॉजिट) के रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा, जिसे आपूर्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उन्हें वापस किया जाएगा। शेष निविदादाताओं का अग्रधन निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त निविदा शर्त के अनुरूप वापस कर दिया जाएगा। वर्ष-2026-2027 के लिए स्वीकृत निविदा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी विशेष परिस्थिति में कार्य बाधा उत्पन्न नहीं होने के आलोक में विभागीय आदेश पर अगली निविदा के स्वीकृति होने तक सभी सामानों की आपूर्ति पूर्व स्वीकृत दर पर ही सुनिश्चित करनी होगी।
11. ब्राण्ड राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त है या नहीं इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अन्तिम होगा।
12. श्रमायुक्त, बिहार को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार कर सकते हैं अथवा किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था को बिना निविदा में भाग लिए आपूर्ति आदेश दे सकते हैं। इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अन्तिम होगा।
13. एकरानमा रद्द करने का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र में वित्तीय निविदा समर्पित किये जायेंगे-

अनुसूची -1

क्र०सं०	सामग्री का नाम	मात्रा	दर प्रति किलो / प्रतिपीस / प्रतिदर्जन में (कर सहित)	छूट (प्रतिशत में)	वास्तविक आपूर्ति दर
1	2	3	4	5	6

अनुसूची -2


तकनीकी निविदा निम्नांकित प्रपत्र में समर्पित किए जाएंगे :-

1. निविदादाता / फर्म का नाम :-
2. पूरा पता :-
3. दूरभाष/मोबाईल संख्या :-
4. बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि :-
5. बैंक ड्राफ्ट की राशि :-
6. बैंक का नाम :-
7. पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न) :-
8. जी0एस0टी0 नम्बर (छायाप्रति संलग्न) :-
9. अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो तो :-
10. अनुसूची-1 संलग्न है अथवा नहीं :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निविदा की शर्तों को पूरी सावधानी से पढ़ कर समझ लिया हूँ एवं उसके पश्चात् निविदा पत्र समर्पित किया हूँ। यदि किसी भी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी सभी कार्य दिवस को प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा <http://State.bihar.gov.in/prdbihar> पर देखा जा सकता है एवं दूरभाष सं0-6287894991 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


प्रबंधक,

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।